

कार्यालय नगर पालिका मंडल चौमूँ जयपुर

दिनांक 10/8/22

क्रमांक / न.पा.चौमूँ / 2022 / 2270

नोटिस


(सीज नोटिस अन्तर्गत धारा 194 (10)(i))

1. कैलाशपती कॉम्प्लेक्स ,
रींगस रोड चौमूँ

आप द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के बहुमंजिला निर्माण कार्य कर लिया गया है जो राज. नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 194 की उपधारा (i) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि पर निर्माण कार्य अनाधिकृत है।

अतः राज. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 की उपधारा (i) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा (10)(i) के तहत अवैध निर्माण को दिनांक 12.08.2022 को सीज की कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत सूचित किया जाता है, साथ ही धारा 194 (10)(b) के तहत अतिकर्मी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान/अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसके तहत करावास जो 15 दिवस से कम नहीं होगा किन्तु जो 45 दिवस का हो सकेगा या जुर्माना 10000/- से कम नहीं होगा किन्तु जो 20000 रुपये तक होगा या दोनों से न्यायालय द्वारा दंडि किया जा सकेगा।

उक्त बहुमंजिला अनाधिकृत निर्माण को पालिका द्वारा सीज की कार्यवाही करने उक्त स्थल के पास स्थित भवनों को जान माल की हानी पहुंचती है तो पालिका की व जिम्मेदारी नहीं होगी साथ-ही यह भी सूचित किया जाता है कि पालिका द्वारा निर्धारित कार्य के पेटे किया गया समस्त व्यय अधिनियम की धारा 285 (9) के तहत आपसे व किया जायेगा कृपया सूचित रहे।


10/8/22
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका